**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
**प्रकरण संख्या :– 562/2019**

जगेन्द्रसिंह वल्द करनैलसिंह कोम जट सिख साकिन लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1. गुरबचनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर
2. मलकीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
4. भोला सिंह वल्द महेन्द्रसिंह– फोत

4/1 रिछपालसिंह वल्द भोलासिंह कोम जट सिख साकिन किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रींगंगानगर ।

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :–
1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता वादी
2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक : 13.12.19

**निर्णय**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण के पिता महेन्द्रसिंह के नाम से वाके चक 30एमजेडी के खाता संख्या 101/101 मे प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21/ 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा दर्ज कागजात पटवार माल था। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महेन्द्रसिंह के बीच आज से 50 साल पूर्व रकबा कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा हुआ था। जिसमे वादी के हक हिस्सा मे चक 30 एमजेडी के खाता संख्या 101/101 मे प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21/ 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा आया था, तब से लेकर आज तक वादी उक्त रकबा पर काबिज चला आ रहा है जिस बाबत महेंन्द्रसिंह के वारिसान ने कोई ऐतराज नहीं किया तथा ना ही रकबा बाबत कोई क्लेम किया। प्रतिवादीगण के पिता महेन्द्रसिंह के फोत होने पश्चात उसके वारिसान ने विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। चक चंक 30 एमजेडी के खाता संख्या 101/101 मे प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21/ 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वादी को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है बैक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाओ से वंचितं रहना पड़ता है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे वादीं चक 30 एमजेडी के खाता संख्या 101/101 मे प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21/ 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार हैं। उक्त चक 30एमजेडी के खाता संख्या 101/101 मे प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21/ 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने की इस्तदूआ की गयी। वाद का विरोध नही होने के कारण कोई तनकीयात कायम नही की गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1जगेन्द सिंह, पी डब्लयू 2 फत्ताराम, पी डब्लयू 3 आदराम पेश हुये।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महेन्द्र सिंह के मध्य घरूबंटवारा पूर्व मे हो चुका है तथा वादी द्वारा बंटवारा के आधार पर घोषणा की मांग की गई जिसमे प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही आये, वादी ने उपरोक्त 1 बीघा आराजी बंटवारा के आधार पर दर्ज नही होना अंकित किया है एव बंटवारा कई खातों की आराजी का हुआ था जिस सम्बध में वादी ने दौराने बहस निवेदन किया है जो कि उक्त आराजी सहवनवश महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज रह गयी थी वादी के वाद पत्र के समर्थन में स्वतंत्र गवाह फत्ताराम व आदराम ने शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है एव वादाधीन आराजी के बंटवारा होने की पुष्टि की है व आराजी पर कब्जा काश्त भी वादी का होना स्वीकार किया है , जिससे साबित है कि वादाधीन आराजी पर वादी की सेटलड पॉजेशन है, एव वादी की कब्जा काश्त में कभी किसी पक्षकार ने विघ्न पैदा नही किया है एव ना ही प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर आराजी वादाधीन के सम्बध में कोई क्लैम किया है। इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तांवेजी साक्ष्यों , शपथ पत्रों, स्वतंत्र गवाहों , अभिकथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति मे वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 30 एमजेडी. के खाता संख्या 101/101 प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21 में 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त रकबा से लक्ष्मण सिंह, गुरबचन सिंह, भोला सिंह, मलकीत सिंह पि0 महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अंकन किया जावें। उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.12.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 562/2019**

जगेन्द्रसिंह वल्द करनैलसिंह कोम जट सिख साकिन लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1. गुरबचनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर
2. मलकीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कोम जट सिख निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
4. भोला सिंह वल्द महेन्द्रसिंह– फोत

4/1 रिछपालसिंह वल्द भोलासिंह कोम जट सिख साकिन किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

प्रतिवादी

**<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल क़त्तई रोबरू मेरे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 30 एमजेडी के खाता संख्या 101/101 प.न. 63/187 मु.न. 38 का किला नं. 21 में 0.253 हैक्टैयर नहरी रकबा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त रकबा से लक्ष्मण सिंह, गुरबचन सिंह, भोला सिंह, मलकीत सिंह पि0 महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अंकन किया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.12.19 को जारी किया गया।

13.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:26:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: